

कार्यालय : राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

सी 1 विक्रांत खंड 1 (निकट शहीद पथ) गोमतीनगर लखनऊ - 226010

पत्रांक : 2251 /एस.सी.डी.आर.सी.यू.पी./आर.-01/2020

दिनांक : 20 जुलाई, 2020

आदेश

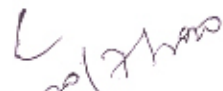
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2351(अ) दि. 15.07.2020 के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 47 के उपबंध को दि. 20.07.2020 से प्रवृत्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 को भी दि. 20.07.2020 से प्रवृत्त कर दिया गया है।

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि दि. 20.07.2020 से राज्य आयोग में ऐसे परिवाद दर्ज किये जायेंगे जिनमें वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में भुगतान किया गया मूल्य रु. एक करोड़ से अधिक एवं रु. दस करोड़ तक की सीमा के अंतर्गत हो और राज्य आयोग में दायर प्रत्येक परिवाद के साथ उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 के नियम 7 के अनुसार देय शुल्क जमा कराना होगा।

(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मा. सदस्यगण, राज्य आयोग, उ.प्र.।
2. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, जिला आयोग, उ.प्र.।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबंधन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, राज्य आयोग, उ.प्र.।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार) राज्य आयोग, उ.प्र.।
5. प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) राज्य आयोग, उ.प्र. को वेब-साइट पर अपलोड कराने हेतु।
6. संबंधित सहायक कार्मिक, फाइलिंग अनुभाग, राज्य आयोग, उ.प्र.।
7. पदाधिकारीगण एल्डर कमेटी, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
8. नोटिस बोर्ड।


(निकुंज मित्तल)
निबंधक